हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 27 मार्च, 2012

संख्या वैब 1/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2012. — संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम से सलंग्न अनुसूची क तथा ख में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट काम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

संशोधन प्रारूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में.–

(i) अनुसूची क में, खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे,–

(क) क्रम संख्या 5 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उसके सामने प्रविष्टियां अप्रैल, 2012 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3
"5	प्रविष्ट 5क में आने वाली के सिवाय राज्य में आयातित विदेशी मदिरा (बोतल के रुप में) की प्रथम बिक्री	25 प्रतिशत
5क	बार, पब तथा क्लब अनुज्ञप्तियों (अनु.–4/ अनु.–5/अनु.–10ग/अनु.–10ड/अनु.–12ग/ अनु.–12छ) द्वारा बेची गई आयातित विदेशी मदिरा सहित मदिरा (बोतल के रुप में)	15 प्रतिशत '';

(ख) क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां अप्रैल, 2012 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3
"10	अनु0–1 ख च द्वारा बेची गई आयातित विदेशी मदिरा (बोतल के रूप में) के सिवाए जब राज्य में सभी प्रकार की मदिरा प्रथम बार के लिए बेची गई देशी मदिरा के मामले में, आसवनियों के हाथ में तथा भारत में बनी विदेशी स्पिरिट के मामले में अनु0 1–ख तथा अनु0– 1 क ख, तथा बीयर तथा शराब इत्यादि के मामले में तथा अनु0 –1 ख–1 तथा अनु0 1–क ख–1, अनु0–1डब्ल्यू तथा एस–1क, आर. टी. बी. (पीने के लिए तैयार पेय के लिए) अनु0 –1 ख1–क	4 प्रतिशत अधिभार सहित, यदि कोई हो।";

(ii) अनुसूची ख में, खाना 2 के नीचे, क्रम संख्या 31ख के सामने, मद(ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

2
(ii) हरियाणा मूल्य कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची क कीं क्रम संख्या 5, 5क और 10 में दी गई प्रविष्टियों के अतिरिक्त भारत में बनी विदेशी मदिरा और देसी मदिरा (जिस पर राज्य आबकारी शुल्क अदा किया गया हो) प्रथम अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगी ।"।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।